रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266531
CG-DL-E-29092025-266531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4310] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
No. 4310] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4430(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी एवं चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अपने संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/5/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4430(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as the Lieutenant Governor or the Administrator) of the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Puducherry and Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/5/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4431(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अपने संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/5/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4431(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as Lieutenant Governor or the Administrator) of the Union territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Ladakh and Puducherry shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/5/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4432(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक या उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अपने संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/5/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4432(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator or the Lieutenant Governor of the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/5/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4433(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू-कश्मीर एवं पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अपने सम्बंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/5/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4433(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as the Lieutenant Governor or the Administrator) of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir and Puducherry shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/5/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4434(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अपने संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/5/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4434(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as the Lieutenant Governor or the Administrator) of the Union territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep and Puducherry shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Motor Transport Workers Act, 1961 (27 of 1961) within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/5/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA